

भारत सरकार/ Government of India वस्त्र मंत्रालय/ Ministry of Textiles

पटसन आयुक्त का कार्यालय/ Office of the Jute Commissioner पटसन भवन, सीएफ ब्लॉक, / Patsan Bhawan, CF Block, सातंवा व आठवां तल, एक्शन एरिया- I, / 7th & 8th Floor, Action Area-I, न्यटाउन, कोलकाता - 700156/ Newtown, Kolkata - 700156

No. Jute(A)/840/88

Dated the 24 January, 2025.

Circular

<u>Subject: Engagement of retired Government servant as</u> consultant in Hindi Section of Office of the Jute Commissioner, Kolkata – reg.

Office of the Jute Commissioner, Kolkata invites applications for engagement of Consultant (Hindi Translator) on contractual basis from retired Central Government/State Government/PSU/Autonomous body employees having been retired from the post of Junior Translation Officer/Senior Translation Officer/Assistant Director/Deputy Director or equivalent post. The engagement of Consultant is on contractual basis for an initial period of one year which may be extended on year to yearly basis as per requirement.

1. Selection Procedure

The engagement will be purely on contract basis. Applications are to be received in response to this advertisement will be shortlisted on the basis of experience and qualification of applicants. Consultants will be selected from shortlisted candidates.

2. Essential qualifications

Master's degree of a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;

Or

Master's degree of a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;

Or

Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;

Or



F Bruke 54 Was

Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;

Or

Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level.

3. Experience

Applicant is required to have at least 20 years' experience in the field of Rajbhasha related activities especially translation work from English to Hindi and vice versa in any Central Government Offices.

4. Scope of Work

Advice and Implementation of Rajbhasha related programs and activities in the Office of the Jute Commissioner, Kolkata.

Translation from English to Hindi and Vice Versa.

Typing in Hindi (Unicode, etc.) & English as per requirement.

5. Contract Period

Initial contract would be for a period of one year and may further be extended on yearly basis subject to functional requirement, appraisal of the performance and medical fitness of the individual.

6. House Rent Allowances

No HRA shall be admissible.

7. Remuneration

A fixed monthly amount shall be admissible, arrived at by deducting the basic pension from the pay drawn at the time of retirement. The amount of remuneration so fixed shall remain unchanged for the term of the contract. There will be no annual increment and Dearness Allowance shall be allowed the term of the contract period.

8. Transport Allowance

An appropriate and fixed amount of Transport Allowance for the purpose of commuting between the residence and the place of work shall be allowed not exceeding the rate applicable to the appointee at the time of retirement. The amount so fixed shall remain unchanged during the term of appointment. However, retired employees engaged as consultants may be allowed TA/DA on official tour, if any, as per their entitlement at the time of retirement.

9. Leave of absence:

Paid leave of absence may be allowed at the rate of 1.5 days for each completed month of service. Accumulation of leave beyond a calendar year may not be allowed.

Term of Appointment

- 10.1 The term of appointment shall ordinarily be for an initial period not exceeding one year which is extendable by another one year. Beyond two years after the age of superannuation where adequate justification exists the term may be extended based on a review of the task and the performance of the contract appointee, provided it shall not be extended beyond 5 years after superannuation.
- 10.2 The consultant shall sign an agreement of confidentiality with the Government of India containing ta clause on Ethics and Integrity.

11. Tax deduction at sources

The Income Tax or any other tax liable to be deducted, as per the prevailing rules will be deducted at source before effecting the payment for which the office will issue TDS certificate.

12. Office time and working hours

Working hours shall be **10.00 A.M. to 6:30 P.M.** during the working days including half an hour lunch break in between. The consultant can be called on Saturday/Sunday/other Gazetted holidays, if required.

13. Guidelines for submission of application

The duly completed application in prescribed format should be submitted addressed to the Deputy Director (E&F)/Nodal Officer Rajbhasha, Office of the Jute Commissioner, Patsan Bhawan, 7th & 8th Floor, CF Block, Action Area-I, New Town, Kolkata-700156 so as reach Office of the Jute Commissioner, Kolkata on or before 14th March, 2025. Any application received after the due date will be rejected.

- **14.** Office of the Jute Commissioner has the right to cancel advertisement and not to proceed in the matter for engagement of consultant, at any stage or to accept or reject any or all applications without assigning the reason therefore.
- 15. Other terms & conditions of the engagement will be carried out as per Govt. of India guidelines.

(Abhijit Dewanjee) Administrative Officer.

Application format for Contractual Appointment for the post of Hindi Translator in the office of the Jute Commissioner, Patsan Bhawan, Kolkata -reg.

1.	Name	
2.	Father's Name	
3.	Present/Residential Address	
4.	Date of Birth (DD/MM/YYYY)	
5.	E-mail Address	
6.	Contact Number	
7.	Date of Entry into Govt. Service	
8.	Date or Retirement	
9.	Education Qualifications	
	,	,
10.	Brief particulars of Service	
	with Nature of duties performed (Starting from last	
	appointment)	
	,	

Condt. 2/-



:: 2 ::

S1. No.	Name of the Ministry/ Department	Period (MM/	YYYY)	Post Held	Nature of work
1.	_				
2.					
3.					
4.					

1. Additional Information if any, in support of your suitability for the post:

This is to certify that no disciplinary proceedings were pending against me on the date of application and the information give above is true to the best of my knowledge and belief. The supporting documents would be made available on demand.

		Yours faithfully,
	Signature:	
Name:		

Date	
Place:	





भारत सरकार/ Government of India वस्त्र मंत्रालय/ Ministry of Textiles

पटसन आयुक्त का कार्यालय/ Office of the Jute Commissioner पटसन भवन, सीएफ ब्लॉक, / Patsan Bhawan, CF Block, सातंवा व आठवां तल, एक्शन एरिया- I, / 7th & 8th Floor, Action Area-I, न्यूटाउन, कोलकाता - 700156/ Newtown, Kolkata - 700156

<u>सं. जूट (ए)/840/88</u>

दिनांक 24 जनवरी, 2025.

परिपत्र

पटसन आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता, किनष्ठ अनुवाद अधिकारी/विरिष्ठ अनुवाद अधिकारी/सहायक निदेशक/उप निदेशक या समकक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए, सेवानिवृत्त केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत निकाय कर्मचारियों से अनुबंध के आधार पर परामर्शदाता (हिंदी अनुवादक) की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। परामर्शदाता की नियुक्ति एक वर्ष की प्रारंभिक अविध के लिए अनुबंध के आधार पर की जाएगी जिसे आवश्यकतानुसार वर्ष दर वर्ष बढ़ाया जा सकता है।

1. चयन पद्धति

परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति विशुद्ध रूप से अनुबंध के आधार होगी। इस विज्ञापन के जवाब में प्राप्त आवेदकों के अनुभव तथा उनके योग्यता के आधार पर चुना जाएगा। शॉटलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में से उपरोक्त पद हेतु परामर्शदाता का चयन किया जाएगा।

2. आवश्यक अहर्ताएँ:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा या परीक्षा के माध्यम रूप में रहा हो;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में हिंदी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या दोनों में से एक परीक्षा के रूप में रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो।

अन्भव

आवेदक किसी भी केंद्रीय सरकार के कार्यालय में राजभाषा संबंधी गतिविधियों खासकर अंग्रेजी से हिंदी तथा हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य में 20 वर्षों का अनुभव रखता हो।

4. कार्य क्षेत्र

पटसन आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता में राजभाषा संबंधी कार्यक्रमों और गतिविधिं के लिए सलाह और कार्यान्वयन। अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद। हिंदी (यूनिकोड) और आवश्यकतानुसार हिन्दी (यूनिकोड आदि) एवं अंग्रेजी में टंकण का कार्य।

5. संविधा अवधि

प्रारंभ में संविदा एक वर्ष के लिए होगा और बाद में कार्य की आवश्यकता, कार्य निष्पादन के मूल्यांकन और आवेदक के स्वास्थ्य की स्थिति पर इस अविध का बढ़ाया जाएगा।

6. मकान किराया

कोई भी मकान किरया भत्ता देय नहीं होगा।

7. पारिश्रमिक

सेवानिवृत के समय प्राप्त वेतन से मूल पेंशन की कटौती के बाद शेष राशि को एक निश्चित मासिक वेतन के रूप में देय होगा। यह निश्चित मासिक वेतन की राशि संविदा अविध तक अपरिवर्तित रहेगा। संविदा में उल्लिखित अविध के लिए किसी भी तरह की वार्षिक वृद्धि और महंगाई भत्ता देय नहीं होगा।

8. वाहन भत्ता

आवास से कार्यस्थल के बीच की यात्रा के उद्देश्य के लिए एक उचित तथा निर्धारित राशि देय होगा जो राशि सेवानिवृत्त के समय प्राप्त दर से अधिक नहीं होगा। यह निर्धारित राशि नियुक्ति अविध तक अपरिवर्तित रहेगा। हालांकि परामर्शदाता के रूप में नियुक्त सेवानिवृत कर्मचारियों को कार्यालयीन यात्रा के लिए नियमानुसार यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता देय होगा।

9. अनुपस्थिति संबंधी अवकाश

सेवा के प्रत्येक एक महिने पूर्ण होने के उपरांत 1.5 दिनों के हिसाब से अनुपस्थिति के लिए पारिश्रमिक सहित अवकाश की अनुमति होगी। कैलेंडर वर्ष के बाद संग्रहीत अवकाश मान्य नहीं होगा।

10. नियुक्ति की अवधि

- 10.1 नियुक्ति के प्रारंभिक अविध सामान्यतः एक वर्ष से अधिक नहीं होगी हालांकि अगले वर्ष तक के लिए इस अविध को बढ़ाया जा सकता है। सेवानिवृत्त के उम्र के बाद दो वर्ष पूर्ण होने पर उचित स्पष्टीकरण के साथ इस अविध के दौरान सौंपे गए कार्यों की समीक्षा और संविदा कर्मी के कार्य निषपादन के मूल्यांकन के बाद अविध को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यह अविध सेवानिवृत्ति से पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगा।
- 10.2 परामर्शदाता को भारत सरकार के साथ आचार तथा सत्यनिष्ठा संबंधी नियम-युक्त संबंधी-युक्त गोपनीयता बरतने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। परामर्शदाता को भारत सरकार के साथ आचार तथा सत्यनिष्ठा संबंधी नियम युक्त सहमति पत्र पर गोपनीयता के लिए हस्ताक्षर करना होगा।

31. 9/4 mail 2011/25

11. स्रोतों पर कर कटौती

भुगतान के पूर्व कार्यालय जिसके लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करेगा और उसके आधार पर भारत सरकार के मौजूदा नियमों के अनुसार कार्यालय द्वारा स्रोत पर आयकर या अन्य कर की कटौती की जाएगी।

12. कार्यालय का समय और कार्य करने के घंटे

कार्य दिवस के दौरान कार्य करने का समय सुबह 10.00 बजे से संध्या 6.30 बजे तक होगा जिसमें मध्याहन भोजन के लिए आधे घंटे का समय भी शामिल है। आवश्यकता पड़ने पर परामर्शदाता को शनिवार/रविवार/राजपत्रित अवकाश के दिनों में भी बुलाया जा सकता है।

13. आवेदन जमा करने के लिए दिशा-निर्देश

निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र उप निदेशक (का. एवं वित्त)/ नोडल अधिकारी (राजभाषा), पटसन आयुक्त का कार्यालय, पटसन भवन, 7वॉ एवं 8वॉ तल, सीएफ ब्लॉक, एक्सन एरिया -l, न्यू टाउन, कोलकाता - 700156 के नाम उक्त पते पर दिनांक 14 मार्च, 2025 तक या इसके पूर्व पहुँच जाना चाहिए। निर्धारित तिथि के बार प्राप्त आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- 14. पटसन आयुक्त कार्यालय को यह अधिकार होगा कि किसी भी अवस्था में वह विज्ञापन को रद्द कर सकता है ओर परामर्शदाता के संविदा आधारित नियुक्ति के मामले को रोक सकता है या बिना कारण बताए किसी का भी या सभी के आवेदनों को स्वीकृत या निरस्त कर सकता है।
- 15. नियुक्ति संबंधी अन्य नियम एवं शर्तें भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर कार्यान्वित होगा।

(अभिजित दीवानजी)

प्रशासनिक अधिकारी

पटसन आयुक्त का कार्यालय, पटसन भवन, न्यू टाउन, कोलकाता के कार्यालय में सविदा आधारित हिंदी अनुवादक के लिए आवेदन का प्रपत्र

1.	नाम	
2.	पिता का नाम	
3.	वर्तमान/आवासीय पता	
	,	
4.	जन्म तिथि (दिनांक/महीना/वर्ष)	
5.	ई-मेल पता	
6.	संपर्क संख्या	
7.	सरकारी नौकरी में प्रवेश की तिथि	
8.	सेवानिवृत्त की तिथि	
9.	शैक्षिक अहर्ताएँ	
	*	,
		*
10.	संपादित कर्तव्यों सहित सेवा का परिचय	
	(प्रारंभ से अंतिम नियुक्ति तक)	

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	अवधि (महीन	जिस पद पर थे	कार्य की प्रकृति
		वर्ष		
	a a			

कोई अतिरिक्त सूचना जो आपके पद के लिए उपयुक्तता का समर्थन करना हो:



यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन करने की तिथि तक मेरे खिलाफ कोई भी अनुशासनात्मक कारवाई लंबित नहीं है तथा मेरे अब तक की जानकारी के अनुसार उपरोक्त सूचनाएँ सही है। मांग के अनुसार आवेदन से संबंधित कागजात प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

भवदीय

हस्ताक्षर	
परा नाम	

दिनांक:

स्थान:

